History

Ch-3 - सामाजिक इतिहास- महाभारत के विशेष संदर्भ में

Q) महाभारत संबंधी कुछ विशिष्ट तथ्यों का उल्लेख करें।

Ans) महाभारत संबंधी कुछ विशिष्ट तथ्य निम्न हैं।

i) महाभारत का लेखन वेदव्यास द्वारा किया गया था। वेदव्यास कोई नाम न होकर एक पदवी थी और यह पद वेदों के ज्ञाता को दी जाती थी।

ii) 28वे वेदव्यास कृष्ण द्वैपायन थे जिनका रंग सांवला था तथा वे एक द्वीप पर जन्मे थे। इसलिए उनका नाम कृष्ण द्वैपायन पड़ा।

iii) गीता भी मात्र एक नही है, कम से कम 10 गीता है। भगवद् गीता के अतिरिक्त हमे व्याध गीता, अष्टावक्र गीता एवं पाराशर गीता के नाम भी मिलते हैं।

iv) महाभारत काल मे बायी जांघा पर या बायी और पत्नी को बैठाया जाता था दायी ओर पुत्री को बैठाया जाता था इसलिए चौसर जीतने के उपरांत दुर्योधन ने द्रोपदी से बायी जांघा पर बैठने के लिए कहा था।

v) महाभारत काल मे राशी प्रचलन थे। ज्योतिष का आधार 27 नक्षत्र था। नक्षत्रों मे प्रथम स्थान पर रोहिणी नक्षत्र आता था।

vi) महाभारत के युद्ध मे ग्रिक, रोमन और मेसोडोनियाई आदि विदेशी योद्धा भी सम्मिलित हुए थे।

vii) अभिमन्यू जब चक्रव्युह मे फंसा था तब उसका वध दुःशासन के बेटे ने किया था।

viii) महाभारत तीन चरणों मे लिखा गया है। प्रथम चरण मे 8,800 श्लोक, दूसरा मे 24,000 और तीसरे मे 1,00,000 श्लोक लिखे गए।

Scanned with CamScanner

ix) महाभारत का अंग्रेजी अनुवाद 1883–96 मे मोहन गाँगुली ने किया। द्वितीय अंग्रेजी अनुवाद मनमथनाथ दत्त ने 1895-1905 के बीच किया।

Q) प्राचीन काल के सामाजिक मानदण्डों का अध्ययन करने महाभारत का एक अच्छा स्रोत है। व्याख्या कीजिए अथवा महाभारत काल के सामाजिक इतिहास का वर्णन कीजिए।

Ans) प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास मे महाभारत की महत्वपूर्ण भूमिका है।

i) परिवार → प्राचीन भारतीय सामाजिक संरचना मे परिवार का महत्वपूर्ण स्थान था। मानव की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति परिवार मे ही हो जाती थी परिवार संयुक्त परिवार था। संयुक्त परिवार की प्रथा विद्यमान थी। महाभारत मे हमे दो परिवार कौरव एवं पांडव दिखाई देते है साथ ही पता चलता है कि ज्येष्ठ पुत्र को उत्तराधिकार मिलता है। इसलिए दुर्योधन को चिंता हुई कि पांडु के पुत्रो को उत्तराधिकार ना मिल जाए क्योंकि धृतराष्ट्र को अंधा होने के कारण बड़े होते हुए भी उत्तराधिकार नही मिला था।

ii) विवाह → विवाह शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है – वधु को वर के घर ले जाना। प्राचीन भारत मे वर्णित 16 सामाजिक संस्कारो मे विवाह एक महत्वपूर्ण संस्कार था। भारत के प्राचीन धर्म एवं कानून ग्रंथ मनुस्मृति मे विवाह के आठ प्रकारो का वर्णन किया गया है।

i) ब्रह्मविवाह ii) देव विवाह iii) आर्ष विवाह iv) प्राजापत्य विवाह v) असुर विवाह vi) गंधर्व विवाह vii) राक्षस विवाह viii) पिशाच विवाह

इनमें प्रथम चार उत्तम एवं अंतिम चार निंदनीय माने गए थे। कुछ अन्य विवाह महाभारत काल में इस प्रकार थे।

i) अंतर्विवाह ii) बाह्यविवाह iii) बहुपत्नी प्रथा, iv) बहुपति प्रथा

iii) स्त्रियों का गोत्र – लगभग 1000 ई०पू० गोत्र प्रथा अस्तित्व में आई। प्रत्येक गोत्र किसी ऋषि के नाम पर होता था और उस गोत्र के सभी सदस्य उसी ऋषि के वंशज माने जाते थे। विवाह के बाद स्त्रियों का गोत्र पिता के स्थान पर पति का गोत्र माना जाता था। ऐसा माना जाता है कि माता महत्वपूर्ण थी मगर महाभारत में हम देखते हैं कि माता गांधारी की युद्ध के स्थान पर संधि करने की सलाह दुर्योधन ने नहीं मानी। दूसरी ओर पांडव अपनी माता कुंती और भीष्म अपनी माँ सत्यवती से सलाह लेकर कार्य करते थे।

iv) वर्ण व्यवस्था – वर्ण शब्द का शाब्दिक अर्थ वरण करना या चुनना है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के चारों वर्णों की उत्पत्ति विराट पुरुष के चारों अंगों से मानी गई है।

विराट पुरुष ईश्वर के मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, जांघ से वैश्य, और पैरों से शूद्र वर्ण की उत्पत्ति हुई।

v) बुनकरों की श्रेणी – चार वर्णों के अलावा नगरों में रहने वाले बुनकरों की श्रेणी, स्वर्णकार ये सभी विभिन्न जाति समूह थे। मध्य प्रदेश के मन्दसौर में रहने वाली एक बुनकरों की श्रेणी दशपुर

(मन्दसौर का पुराना नाम) में अपने धन द्वारा सूर्य देवता के मन्दिर का निर्माण कराया था। इससे यह पता चलता है कि इस श्रेणी के लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी थी।

vi) जाति व्यवस्था के आरंभिक समय में एक वर्ण व्यवस्था कठोर थी। एक वर्ण वाले दूसरे वर्ण से विवाह संबंध स्थापित नहीं कर सकते थे। मगर कुछ इसके विपरित भी उदाहरण देखे गए हैं। जैसे -

i) महाभारत में भीष्म पितामह के पिता शांतनु ने निषाद कन्या सत्यवती से विवाह किया था।

ii) भीम ने हिडिम्बा राक्षसी से विवाह किया था।

iii) सातवाहन नरेश पुलुमावी ने शकराजा रूद्रदमन की कन्या से विवाह किया था।

vii) संपत्ति पर स्त्री का अधिकार - वैदिक काल में परिवार की संपत्ति पर पिता का एकाधिकार होता था। कालांतर में प्राप्त ग्रंथ विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा में लिखा है कि पुत्र को यह अधिकार था कि वह पिता से संपत्ति का विभाजन करा ले।

प्रारंभिक काल में स्त्री को संपत्ति पर अधिकार था बाद में कन्या द्वारा विवाह के समय एवं प्राप्त अन्य उपहारों को ही स्त्री धन कहा गया। प्रायः सभी हिन्दू स्त्री धन पर पूर्ण अधिकार मानते हैं। स्त्री धन का उपयोग उस स्त्री के अलावा अन्य कोई व्यक्ति नहीं कर सकता था। यहां तक की उसका पति भी तभी यदि परिवार संकट में हो तब ही पति इस स्त्री धन का उपयोग कर सकता था।

Scanned with CamScanner